

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प. 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2013/418

दिनांक: 30 अगस्त, 2013

संशोधित आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक: 412 दिनांक: 26.08.2013 के क्रम में प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक दिवसीय संगोष्ठी दिनांक: 06.09.2013 को प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.30 बजे तक आयोजित होनी थी। अब यह संगोष्ठी दिनांक: 07.09.2013 को प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.30 बजे तक राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड, राज्य मुख्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के सभा कक्ष में रखी गई है। सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संगोष्ठी में आवश्यक रूप से भाग लें। विस्तृत कार्यक्रम पूर्वानुसार ही रहेगा।

(आर.एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: प. 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2013/418

दिनांक: 30 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, स्टेट चीफ कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाईड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाईड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. वित्तीय सलाहकार/उप विधि परामर्शी, निदेशालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
8. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को उक्त आदेश प्रसारित करने हेतु।

(आर.एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक